न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 28/2019

जीसीएमएस नम्बर : 2019/00064

प्रार्थी:–

1. बस्तीराम पुत्र हरदेव जाति नायक निवासी खारची तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली (पता काजीपुरा, खारची, मारवाड जंक्शन जिला पाली)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. ग्राम पंचायत खारची तहसील मारवाड जंक्शन
2. कन्हैयालाल पुत्र हरदेव जाति नायक
3. देवेन्द्र पुत्र हनुमान जाति नायक निवासीगण काजीपुरा खारची तहसील मारवाड जंक्शन तहसील पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश सिंघानिया।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश मकवाना।

–: निर्णय :–

दिनांक : 21.6.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत मारवाड जंक्शन द्वारा जारी मिसल संख्या 215/1965–66 प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 16.12.1965 की पालना में अप्रार्थी हनुमान, कन्हैयालाल पुत्रगण हरदेव के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 39 दिनांक 09.02.1966 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 3 नोटिस तामिली के उपरान्त भी वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 सगे भाई है जिनके हक अधिकार, स्वामित्व का आवासीय परिसर काजीपुरा मारवाड जंक्शन में स्थित जिसके पडौस पूर्व दिशा में काश्त की भूमि, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में भगाराम मीणा का मकान तथा दक्षिण दिशा में अन्य परिसर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 600 वर्गगज है। प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण के पिता हरदेवजी ने ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा बनाने का आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 215/1965–66 कायम की गयी जिसकी आदेशिका दिनांक 30.12.65 के अनुसार जैर निगरानी पट्टा जारी करने के आदेश प्रदान किये गये एवं हरदेवजी का देहान्त दिनांक 20.12.1996 को हो गया। जैर निगरानी पट्टा जारी करने की पुरी कार्यवाही हरदेवजी द्वारा

अति. जिला कलेक्टर, पाली

ही की गयी तथा पट्टा जारी करने की तिथी को हरदेवजी जीवित थे उसके उपरान्त भी जैर निगरानी पट्टा उनके जीवनकाल में ही दो नाबालिग पुत्रों के नाम जारी कर दिया। जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये दूषित तरीके से जारी किया है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने वक्त बहस कथन किया कि यह एक पारिवारिक विवाद है। परिवार में पूर्व मे हुये मौखिक बंटवारे अनुसार जैर निगरानी पट्टे के भूखण्ड का अप्रार्थीगण के हिस्से आया। जिसके समबन्ध में पंचायतीराज नियमों की पालना करते हुये अप्रार्थीगण के पक्ष में जैर निगरानी पट्टे का निष्पादन किया गया, जो विधिनुसार है इसलिये जैर निगरानी को खारिज फरमावे।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड की प्रमाणित प्रति व अन्य दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत मारवाड जंक्शन द्वारा जारी मिसल संख्या 215/1965–66 प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 16.12.1965 की पालना में अप्रार्थी हनुमान, कन्हैयालाल पुत्रगण हरदेव के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 39 दिनांक 09.02.1966 के विरूद्ध पेश की है। अप्रार्थीगण के पिता हरदेव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की गयी, जिसकी आज्ञा सूची दिनांक 10.04.1965 में अंकितानुसार ग्राम पंचायत में नियमानुसार शुल्क जमा करवाये जाने पर प्रस्तावित भूमि का नक्शा बनाये जाने के निर्देश दिये गये। आज्ञा दिनांक 07.10.1965 में मौका निरीक्षण तथा दिनांक 21.10.1965 के अनुसार निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर एक माह का आपत्ति ईश्तहार जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा जारी मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि की साईज 20 गज बाई 30 गज की है तथा इसकी चतुर्दशी उत्तर दिशा में भगाराम मीणा का मकान, दक्षिण दिशा में खाली प्लॉट, पूर्व दिशा में काश्त की भूमि तथा पश्चिम दिशा में आम रास्ता अंकित है। आज्ञा दिनांक 1612.1965 तथा दिनांक 30.12.1965 के अनुसार किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवदेक को नियमानुसार पंचायती राज नियम 266 के तहत पट्टा जारी करने के आदेश दिये गये, जिससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने की सम्पूर्ण कार्यवाही हरदेव के नाम से की गयी।

जैर निगरानी पट्टे पर प्रदर्श नक्शे में प्रस्तावित भूमि की साईज तथा चतुर्दशी वही अंकित है जो पूर्व में हरदेव के नाम से जारी मौका निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित थे। जिससे यह सुस्पष्ट होता है कि जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में सम्पूर्ण कार्यवाही तो हरदेव के नाम से की गयी परन्तु पट्टा अप्रार्थीगण हनुमान व कन्हैयालाल के नाम से जारी हुआ है। साथ ही पिता के जीवित रहते हुये पुश्तैनी कब्जा सुदा भूमि का पट्टा उनके पुत्रों के नाम कैसे जारी हो सकता है ? अतः जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेज अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 1973 में छोगा पुत्र भगाजी को एक पट्टा जारी किया गया था जिसमें अंकित पडौस में उत्तर दिशा में हरदेव जी का मकान अंकित है। यदि जैर निगरानी पट्टा वर्ष 1966 में हनुमान व कन्हैयालाल को जारी हुआ होता तो छोगा पुत्र भगाजी को जारी पट्टे में उत्तर दिशा में

अति. जिला कलक्टर, पाली

हरदेव के स्थान पर हनुमान व कन्हैयालाल का मकान अंकित होता। पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 23.11.82 के अनुसार विक्रेता छोगा ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण हनुमान व कन्हैयालाल को अपने पट्टे सुदा प्लॉट का बेचान कर दिया उसमें भी अंकित पडौस में उत्तर दिशा में हरदेवजी का मकान अंकित है। जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी पट्टा पंचायतीराज नियमों के विरूद्ध जाकर अप्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित किया गया है जिसे यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में जारी मिसल की सम्पूर्ण आदेशिका तथा कार्यवाही हरदेव के नाम से की गयी परन्तु पट्टा हनुमान व कन्हैयालाल के पक्ष में निष्पादित किया गया। साथ ही अप्रार्थी हनुमान व कन्हैयालाल के पक्ष में जारी जैर निगरानी पट्टे का नाप व चतुर्दशी वही अंकित है जो हरदेव के नाम जारी भूमि निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित था। ग्राम पंचायत द्वारा जारी एक अन्य पट्टा जो वर्ष 1973 में छोगा पुत्र भगाजी के पक्ष में जारी किया गया था, में अंकित पडौस अनुसार उत्तर दिशा में हरदेव का मकान है तथा पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 23.11.82 के अनुसार भी बेचान भूमि के उत्तर दिशा में हरदेवजी का मकान अंकित है, यदि उत्तर दिशा में अंकित भूमि का जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी हनुमान व कन्हैयालाल के पक्ष में वर्ष 1966 में निष्पादित हुआ होता तो वर्ष 1973 में छोगा पुत्र भगाजी को जारी पट्टे व विक्रय विलेख दिनांक 23.11.82 में अप्रार्थीगण का नाम अंकित होता जो हस्तगत प्रकरण में नहीं है। लिहाजा जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध जारी होने से खारिज योग्य है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत मारवाड जंक्शन द्वारा जारी मिसल संख्या 215/1965–66 प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 16.12.1965 की पालना में अप्रार्थी हनुमान, कन्हैयालाल पुत्रगण हरदेव के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 39 दिनांक 09.02.1966 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि माफिक पालनार्थ ग्राम पंचायत को भिजवायी जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 21/6/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली